न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 101/2024

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. अचलसिंह पुत्र मानसिंह 2. भंवरसिंह पुत्र लखसिंह (जाति राजपूत, निवासी जोधाणी उर्फ टेपु, तहसील बाप, जिला फलौदी)		1. हरिसिंह पुत्र बेरीसालसिंह जाति राजपूत, निवासी जोधाणी, उर्फ टेपु, तहसील बाप जिला फलौदी **प्रफोर्मा प्रत्यर्थीगण –** 2. स्वरूपसिंह पुत्र अचलसिंह 3. रेवतसिंह पुत्र मानसिंह 4. ओमसिंह पुत्र लखसिंह 5. भंवरसिंह पुत्र लखसिंह 6. भीमसिंह पुत्र लखसिंह (जाति राजपूत निवासी ग्राम जोधाणी उर्फ टेपु तहसील बाप, जिला जोधपुर)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार बाप राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 07/2023 दिनांक 19.4.24

उपस्थित–
1. श्री ओमप्रकाश बूब, वकील अपीलांट्स
2. श्री रोशन लाल, वकील रेस्पो0 सं0 1
3. श्री अभिषेक बूब, वकील रेस्पो0सं0 2 से 6

निर्णय

दिनांक 14..06.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलांट्स ने तहसीलदार बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 07/2023 अंतर्गत धारा 135(2) आरएलआर एक्ट में पारित पारित निर्णय दिनांक 19.04.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1–हरिसिंह ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाप के समक्ष दिनांक 25.10.23 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम टेपू के खसरा नं0 108, 109, 115, 121, 152, 170 व 203 कुल खसरा 7 कुल रकबा 14.9814 हैक्टर भूमि अपंजीकृत वसीयतनामा (नोटेरी) के आधार पर नामान्तरकरण

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

दर्ज करने हेतु आग्रह किया गया। जो दर्ज रजिस्टर कर हल्का पटवारी से मौका एवं राजस्व रेकर्ड की रिपोर्ट तलब की गई तथा वसीयतनामा में दर्ज गवाह के बयान हेतु नोटिस जारी कर, दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 21.2.24 को सार्वजनिक/आम सूचना प्रकाशित कर हितबद्ध व्यक्ति अथवा संस्था से दावा/ एतराज/आपत्ति आंमत्रित की गई। प्रकरण में दिनांक 12.3.24 को अपीलांट्स एवं रेस्पो0सं0 3 से 6 ने जरिये अधिवक्ता अपंजीकृत वसीयत की जांच हेतु प्रारंभिक आपत्तियां एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 16 नियम 1 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र वास्ते मूल वसीयतनामा प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुत किया गया। जिसमें मुख्यतः प्रार्थीगण हरीसिंह वगैरा के प्रार्थना पत्र को खारिज कर मृतक खातेदार पदमसिंह के नाम दर्ज भूमि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत पदमसिंह के द्वितीय श्रेणी के वारिसान मानसिंह, सूरतसिंह, विशालसिंह पिसरान जवाहरसिंह के सभी वारिसान के नाम विरासत का नामान्तरकरण पारित करने का आग्रह किया गया। प्रकरण में बाद कार्यवाही तहसीलदार बाप के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.4.24 द्वारा प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1–हरिसिंह पुत्र बेरीशाल सिंह का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम टेपू उर्फ जोधाणी के उल्लेखित खसरान की भूमि वसीयतनामा दिनांक 10.3.21 के अनुसार वसीयतग्रहीताओं के पक्ष नामान्तरकरण खोले जाने हेतु हल्का पटवारी टेपू को आदेशित किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आरएलआर एक्ट की धारा 75 के तहत न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1–हरिसिंह द्वारा राज0 लोक सेवाओं की गांरटी अधिनियम, 2011 की धारा 3 के तहत इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि मृतक खातेदार पदमसिंह पुत्र जवाहरसिंह राजपूत रिश्ते में मेरे काका लगते थे एवं अविवाहित थे। उनके द्वारा अपने जीवितकाल में वसीयतग्रहिताअें के पक्ष में दिनांक 10.3.21 को वसीयतनामा निष्पादित किया गया, जो नोटेरी से तस्दीक है। दिनांक 25.3.21 को वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाने से वसीयत अनुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र आरएलआर एक्ट की धारा 135(2) में मानते हुए प्रकरण संख्या 07/2023 दर्ज किया गया। जिसमें अपीलांट्स द्वारा प्रारंभिक आपत्तियां एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 16 नियम 1 प्रस्तुत किया गया, किंतु अपीलांट्स को वसीयत प्रकरण में

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

साक्ष्य का अवसर दिये बिना व मूल वसीयतनामा मंगवाये बिना, पत्रावली में बहस सुनी बताकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा फर्जी वसीयतनामा व फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा कर वर्ष 2021 में पदमसिंह को फौत होना बताकर, 2 वर्ष बाद उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। वास्तविक्ता में पदमसिंह द्वारा किसी प्रकार का वसीयतनामा निष्पादित नही किया गया। इनके प्रथम श्रेणी के वारिस न होने के कारण द्वितीय श्रेणी के वारिस अपीलांट्स कानूनी हकदार है। जिन्हें बिना सुने ही, उपस्थिति बताकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। रेस्पो0सं0 1 द्वारा बिना वसीयत को साबित करवाये वसीयत से इनके कोई अधिकार उत्पन्न नही होते है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने तथा तहसीलदार बाप को मृतक खातेदार पदमसिंह पुत्र जवाहरसिंह के वारिसों की जांच कर विधिवत फौतेदगी नामान्तरकरण पारित करने हेतु आदेशित करने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0सं0 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विधिसम्मत कार्यवाही करने के उपरांत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। वसीयत रजिस्टर्ड होना आवश्यक नही है तथा तहसीलदार वसीयत की जांच हेतु सक्षम प्राधिकारी है। अपीलांट्स को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साक्ष्य का अवसर दिया गया था। अपीलांट्स को उक्त वसीयतनामा में किसी प्रकार का संदेह है, तो उसे सिविल न्यायालय में चुन्नौति देकर निरस्त करवाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय को वसीयत निरस्त करने का अधिकार नही है। अतः अपील अपीलांट्स खारिज कर अपीलाधीन आदेश यथावत रखने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 2 से 6 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि मृतक खातेदार–पदमसिंह ने अपने जीवनकाल में रेस्पो0सं0 1 को गोद नही लिया था। पदमसिंह दिनांक 5.3.21 को भंयकर रूप से बीमार हो गये थे और दिनांक 11.3.2021 को मध्य रात्रि में फौत हो गये। वह दिनांक 5.3.21 से 11.3.21 तक बेहोश थे, जिन्हें किसी भी कार्य का कोई ज्ञान नही था। रेस्पो0सं0 1 ने उक्त भूमि को हडपने के लिए फर्जी एवं कूटरचित वसीयतनामा दिनांक 10.3.21 को तैयार करवाया गया तथा पदमसिंह की मृत्यु का झूठा प्रमाण पत्र दिनांक 25.3.21 को जारी करवाया गया। कानूनन कोई भी पूर्णरूप से स्वस्थ चित व्यक्ति ही अपनी सम्पति की वसीयत कर सकता है और वसीयत को सक्षम न्यायालय से प्रोबेट जारी करवाना आवश्यक है। अतः उक्त फर्जी एवं कूटरचित

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

वसीयतनामा के आधार पर हरिसिंह, पेंपसिंह, ओमसिंह, समन्दरसिंह पिसरान बेरीसालसिंह किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही करवाने के हकदार नही होने से अपीलाधीन आदेश अपास्त करने तथा पदमसिंह के नाम दर्ज भूमि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पदमसिंह के द्वितीय श्रेणी के वारिसान मानसिंह, सूरतसिंह, विशालसिंह पिसरान जवाहरसिंह के सभी वारिसान के नाम विरासत का नामान्तरकरण पारित करने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। आलौच्य प्रकरण में तहसीलदार बाप द्वारा वसीयतनामा के आधार पर, अंतर्गत धारा 135(2) आरएलआर एक्ट के तहत अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.4.24 पारित किया गया है। अपीलांट्स एवं रेस्पो0सं0 2 से 6 का कथन है कि वह मृतक खातेदार–पदमसिंह के द्वितीय श्रेणी के वारिस है जिन्हे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य का अवसर नही दिया गया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत मूल वसीयतनामा मंगवाये जाने का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। इसी भांति प्रकरण में प्राथी–रेस्पो0सं0 1 द्वारा प्रारंभिक आपत्तियों का जवाब प्रस्तुत नही किया गया। उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 22.3.24 एवं 5.4.24 में साबित है। इस स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार बाप द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.04.2024 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय–तहसीलदार बाप को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 14 जून, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

14.06.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर